न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी : डॉ. बजरंग सिंह, आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी संख्या : 77/2021

जीसीएमएस नम्बर : 2021/190

प्रार्थीः—	बनाम	अप्रार्थीगण :—
नरपतसिंह पुत्र स्व. अचलसिंह जाति राजपुरोहित निवासी गावं विंगरला पोस्ट किशनपुरा तहसील रानी जिला पाली		1. चन्दा कंवर पत्नी सवाईसिंह जाति राजपुरोहित निवासी गांव विंगरला तहसील रानी जिला पाली 2. ग्राम पंचायत वरकाणा जरिये सरपंच

"पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994"

उपस्थिति :—

1. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री दौलत मकवाणा।
2. अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री सुमेरसिंह राजपुरोहित।

—: निर्णय :—

दिनांक : 30/03/2026

प्रार्थी की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 के तहत ग्राम पंचायत वरकाणा द्वारा मिसल संख्या 04/2018—19, संकल्प संख्या निल दिनांक 20.12.2018 एवं उसकी पालना में चन्दाकंवर के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 11 दिनांक 28.12.2018 के विरूद्ध पेश की है। निगरानी दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं ग्राम पंचायत का रेकर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस सुनी गयी।

अधिवक्ता प्रार्थी ने दौराने बहस निगरानी मीमो में वर्णित कथनों को दोहराते हुये कथन किया कि ग्राम विंगरला में प्रार्थी के पूर्वज दादा स्व. धूलसिंह वल्द भारतिंगजी राजपुरोहित का कब्जासुदा मकान स्थित है। धूलसिंह के पांच पुत्र जुंझारसिंह, जवारसिंह, अचलसिंह, कीकसिंह, किशोरसिंह हुये, जिसमें से जवारसिंह, कीकसिंह एवं किशोरसिंह लाओलाद फौत हुये। धूलसिंह के पुत्र जुंझारसिंह भी फौत हो चुके है, जिनके दो पुत्र सवाईसिंह, देवीसिंह तथा तीन पुत्रियां उगीयाकंवर, बबीयाकंवर एवं छगनकंवर हुई। अप्रार्थी संख्या 1 चन्दाकंवर सवाईसिंह वल्द जुंझारसिंह की पत्नी है। धूलसिंह के एक अन्य पुत्र अचलसिंह का भी स्वर्गवास हो चुका है, जिसके एक पुत्र नरपतसिंह तथा दो पुत्रीयां संतोषकंवर व सूरजकंवर हुई। धूलसिंह ने अपने जीवनकाल में उक्त पुश्तैनी मकान का आपसी सहमति से तत्समय जीवित चार पुत्र जुंझारसिंह, अचलसिंह, कीकसिंह व किशोरसिंह के बीच नजीर नक्शे अनुसार मौखिक बंटवाड़ा कर भौतिक कब्जा सुपूर्द कर दिया तथा चौक व बाड़ा शामलाती रखा गया। अप्रार्थी संख्या 1 ने सम्पूर्ण पैतृक मकान को अपना पुश्तैनी मकान बनाते हुये सभी के बंट में आई भूमि व उस पर बने मकान का अपने पक्ष में जैर निगरानी पट्टा बना दिया। अप्रार्थी ने ग्राम पंचायत के समक्ष दिनांक 14.09.2018 को आवेदन पेश किया जबकि ग्राम पंचायत द्वारा मिसल दिनांक 09.08.2018 को की कायम कर दी गई और दिनांक 05.09.2018

अति. जिला कलेक्टर पाली

को ही तीन पंचों को मौका निरीक्षण हेतु नियुक्त कर दिया। मिसल की तमाम आदेशिकाये, बयान फार्म पूर्व से कम्प्यूटर टाईप है, जिससे सम्पूर्ण कार्यवाही एक ही दिन में किया जाना प्रतीत होता है। नक्शे पर नक्शा बनाने वाले के हस्ताक्षर नहीं और पड़ौस में भी कांट–छांट की गई है तथा आवेदन पर अप्रार्थी संख्या 1 के अंगुष्ठ निशान है जबकि नक्शे पर हस्ताक्षर है अर्थात् अप्रार्थी संख्या 1 के जाली हस्ताक्षर किये गये है। प्रकरण में प्रस्तुत मौका रिपोर्ट में दो पंच ग्राम पंचायत के कोरम के सदस्य भी नहीं थे। आपत्ति नोटिस पर चस्पानगी के सम्बन्ध में केवल एक गवाह के ही हस्ताक्षर है तथा बयानकर्त्ता स्वयं की उम्र 35 वर्ष है जबकि अप्रार्थी का जैर आराजी पर कब्जा 38 वर्ष का बता रहे है। ग्राम पंचायत द्वारा उक्त पट्टा पंचायतीराज नियमों की अवहेलना करते हुये विधिविरूद्ध तरीके से जारी किया गया है। अपने कथनों के सम्बन्ध में अधिवक्ता प्रार्थी ने न्यायिक दृष्टान्त 1984 RRD Page 174, 2024(5) WLC (Raj.) 210, 2024(2) WLC (Raj.) 168, 2021(1) WLC (Raj.) 164, 2003(1) RRT Page 174, 2003(1) RRT Page 174 पेश कर जैर निगरानी पट्टे को खारिज फरमाने का निवेदन किया है।

अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 ने दौराने बहस कथन किया कि जैर निगरानी पट्टे के सम्बन्ध में आदेशिका दिनांक 20.12.2018 की सम्पूर्ण कार्रवाई लिखी हुई है एवं कोरम के सभी सदस्यों के हस्ताक्षर भी है। जैर आराजी के सम्बन्ध में बंटवाड़े के कोई दस्तावेज नहीं है और न ही ऐसे कोई दस्तावेज है, जिससे यह साबित होता है कि उक्त सम्पत्ति धूलसिंह की है, जो कि पुश्तैनी हो। अधिवक्ता प्रार्थी ने जैर आराजी के सम्बन्ध में किसी अन्य भाई अथवा किसी व्यक्ति के शपथ–पत्र पेश नहीं किये है। यह सम्पत्ति धूलसिंह की मालिकाना नहीं होकर अप्रार्थी की है तथा प्रार्थी ने जो नजरी नक्शा पेश किया है उस पर किसी अन्य व्यक्ति के हस्ताक्षर भी नहीं है। मिसल पर गलत दिनांक का दण्ड पक्षकार को नहीं दिया जा सकता। पंचायती राज के परिपत्र दिनांक 01 जुलाई 2011 के अनुसार ग्राम पंचायत केवल एक प्रस्ताव के द्वारा किसी व्यक्ति के पक्ष में पट्टा जारी कर सकती है। ग्राम पंचायत का संकल्प दिनांक 20.12.2018 विधिवत है तथा यदि प्रार्थी को लगता है कि जैर आराजी पर उनके अधिकार बनते है तो वो इस सम्बन्ध में सिविल कोर्ट में अधिकारों की घोषणा करवा सकते है। अप्रार्थी द्वारा ग्राम पंचायत के समक्ष पट्टा बनाने हेतु आवेदन पेश किया गया तत्पश्चात् ग्राम पंचायत ने सम्पूर्ण प्रक्रिया अपनाते हुये विधिसम्मत तरीके से जैर निगरानी पट्टा जारी किया, यदि उक्त पट्टा जारी करते समय यदि ग्राम पंचायत की कोई तकनीकी त्रुटि रहती है तो उसके लिये अप्रार्थी दोषी नहीं है। प्रार्थी ने बिना किसी विधिक आधारों के जैर निगरानी याचिका पेश की है, जिसे निरस्त फरमावे।

हमने उभयपक्ष की श्रवणसुदा बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। जैर निगरानी याचिका ग्राम पंचायत वरकाणा द्वारा मिसल संख्या 04/2018–19, संकल्प संख्या निल दिनांक 20.12.2018 एवं उसकी पालना में चन्दाकंवर के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 11 दिनांक 28.12.2018 के विरूद्ध पेश की है। हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी द्वारा जैर निगरानी याचिका ग्राम पंचायत द्वारा पारित किसी आदेश के विरूद्ध पेश कर जैर निगरानी पट्टा जारी करते समय ग्राम पंचायत द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया को चुनौती दी है। इस सम्बन्ध में

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर पाली (राज.)

अति. जिला कलेक्टर, पाली

माननीय उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त (2010) 1 WLC 472 uma soni vs Rajasthan State में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया कि It has been held that the patta issued by Gram Panchayat in contravention to the Rules of 1996 can be quashed in exercise of powers under Section 97 of the Act of 1994. धारा 97 में पंचायत की आज्ञा/कार्रवाई के सम्बन्ध में परीक्षण एवं अन्य उचित आदेश जारी किए जाने हेतु सक्षम प्राधिकारिता न्यायालय हाजा को ही प्रदत्त है तथा पट्टा, ग्राम पंचायत द्वारा पारित आज्ञा की अनुवर्ती कार्रवाई के तहत जारी किया जाता है। राजस्थान पंचायती राज नियम की धारा 97 के तहत ग्राम पंचायत के किसी आदेश के सही होने, उसकी विधिकता या औचित्य की जांच करने का क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार न्यायालय हाजा को है। अधिवक्ता प्रार्थी का दौराने बहस मुख्य उज्र यह था कि अप्रार्थी द्वारा ग्राम पंचायत के समक्ष अपने पुश्तैनी मकान का पट्टा बनवाने हेतु आवेदन दिनांक 14.09.2018 को प्रस्तुत किया गया था, जबकि जैर निगरानी पट्टे के सम्बन्ध में सम्बन्धित मिसल दिनांक 09.08.2018 को ही दर्ज कर दी गई। साथ ही यह भी उज्र किया कि ग्राम पंचायत द्वारा जिस प्रस्ताव दिनांक 09.08.2018 की पालना में प्रश्नगत मिसल दर्ज की गई है, उस प्रस्ताव का अंकन ग्राम पंचायत के बैठक कार्यवाही रजिस्टर में नहीं है। उक्त उज्र का खण्डन करते हुये विपक्षी अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया गया कि ग्राम पंचायत ने पंचायतीराज नियमों के प्रावधानों के अनुरूप ही जैर निगरानीं पट्टा जारी किया है तथा यदि अभिलेखों में ग्राम पंचायत द्वारा किसी प्रकार की दिनांक सम्बन्धी त्रुटि अंकित हो गई है तो उसके लिए अप्रार्थी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। इसके सम्बन्ध में ग्राम पंचायत से प्राप्त रेकर्ड का अवलोकन करने पर यह तथ्य परिलक्षित होता है कि अप्रार्थी द्वारा अपने पुश्तैनी मकान का पट्टा बनाने हेतु ग्राम पंचायत के समक्ष आवेदन दिनांक 14.09.2018 को प्रस्तुत किया, जिस पर सरपंच द्वारा सचिव को मिसल दर्ज करने एवं नक्शे प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये, किन्तु आश्चर्यजनक रूप से उक्त आवेदन की पालना में दर्ज मिसल का अंकन अभिलेखों में दिनांक 09.08.2018 दर्शाया गया है, जो कि आवेदन की तिथि से भी पूर्व की तिथि है। सामान्यतः किसी आवेदन के प्राप्त होने से पूर्व उसकी पालना में मिसल दर्ज किया जाना सम्भव नहीं है अतः यत तथ्य अभिलेखों की प्रमाणितकता एवं कार्यवाही की विधिसम्मतता पर गम्भीर सन्देह उत्पन्न करता है। इसके अतिरिक्त ग्राम पंचांयत से प्राप्त बैठक कार्यवाही रजिस्टर से अन्य तथ्य यह प्रकट आता है कि ग्राम पंचायत की बैठक दिनांक 06.08.2018 के पश्चात् अगली बैठक सीधे दिनांक 05.09.2018 को आयोजित की गई तथा बैठक रजिस्टर में पृष्ठ क्रम निरन्तर अंकित है। इस अवधि के मध्य दिनांक 09.08.2018 को ग्राम पंचायत की कोई बैठक आयोजित होने का उल्लेख उपलब्ध नहीं है जबकि प्रश्नगत मिसल को जिस प्रस्ताव दिनांक 09.08.2018 की पालना में दर्ज किया जाना दर्शाया गया है, उस दिनांक को ग्राम पंचायत की बैठक आयोजित होना अभिलेखों से प्रमाणित नहीं है। ऐसी स्थिति में यह मानने के पर्याप्त आधार बनते है कि उक्त प्रस्ताव का अस्तित्व अभिलेखीय रूप से सिद्ध नहीं होता है। इस सम्बन्ध में माननीय न्यायालय ने न्यायिक दृष्टान्त 1996 DNJ (Raj.) 413 Mahaveer Prasad vs State of Rajasthan & Ors. में यह अभिनिर्धारित किया कि राजस्थान पंचायत (साधारण) नियम, 1961–नियम 256 व 260–पंचायत द्वारा भूमि का

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

अति. जिला कलेक्टर पाली

विक्रय–प्रार्थी के पक्ष में पट्टा जारी–अपर कलेक्टर ने पट्टा और विक्रय की सारी कार्यवाही को रद्द कर दी–पंचायत का प्रस्ताव रजिस्टर में नहीं लिखा है–भूमि के विक्रय हेतु कोई लोक सूचना जारी नहीं हुई–अभिनिर्धारित, रिट याचिका गुणागुणहीन होने से खारिज की जाती है। यह स्थापित विधिक सिद्धान्त है कि ग्राम पंचायत द्वारा किसी प्रकार का पट्टा जारी करने से पूर्व विधिवत बैठक आयोजित कर प्रस्ताव पारित किया जाना आवश्यक प्रक्रिया है। प्रस्ताव के अभाव में पट्टा जारी किया जाना न केवल पंचायती राज नियमों की निर्धारित प्रक्रिया के विपरीत है बल्कि प्रशासनिक पारदर्शिता एवं विधिक औचित्य के सिद्धान्तों के भी प्रतिकूल हैं।

अधिवक्ता अप्रार्थी ने दौराने बहस ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग (पंचायती राज विभाग) राजस्थान सरकार का परिपत्र दिनांक 01 जुलाई 2011 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम पंचायत द्वारा प्रश्नगत पट्टा जारी करते समय राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 145 से 156 के अन्तर्गत निर्धारित प्रक्रिया की पालना अपेक्षित नहीं है बल्कि केवल एक प्रस्ताव के आधार पर भी पट्टा जारी किया जा सकता है क्योंकि उक्त परिपत्र के अनुसार पट्टा आवंटन के लिये उक्त प्रक्रियात्मक प्रावधानों में छूट प्रदान की गई है। उक्त उज्र का खण्डन करते हुये अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा यह निवेदन किया कि विपक्षी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किया गया उक्त परिपत्र वास्तव में मुख्यमंत्री ग्रामीण बीपीएल आवास योजना एवं इंदिरा आवास योजना के अन्तर्गत बीपीएल परिवारों को निःशुल्क पट्टा आवंटन के सम्बन्ध में जारी किया गया है जबकि वर्तमान प्रकरण में प्रश्नगत पट्टा किसी बीपीएल परिवार को निःशुल्क आवंटित नहीं किया गया है बल्कि सामान्य श्रेणी की महिला को राजस्थान पंचायती राज नियम 157(1) के तहत 200/– रूपये की निर्धारित राशि पर जारी किया गया है। ऐसी स्थिति में उक्त परिपत्र का इस प्रकरण पर कोई प्रत्यक्ष अनुप्रयोग नहीं बनता। पत्रावली पर उपलब्ध प्रश्नगत पट्टे का अवलोकन करने पर यह तथ्य स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है कि उक्त पट्टा राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(1) के तहत 200/– रूपये की राशि के आधार पर जारी किया गया है। इससे यह स्पष्ट होता है कि ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा जारी करने की कार्यवाही सामान्य प्रक्रिया के अन्तर्गत की गई है, न कि बीपीएल परिवारों के लिए निःशुल्क पट्टा आवंटन की विशेष योजना के अन्तर्गत। उक्त परिपत्र दिनांक 01 जुलाई 2011 "मुख्यमंत्री ग्रामीण बीपीएल आवास योजना एवं इंदिरा आवास योजना के अन्तर्गत बीपीएल परिवारों को निःशुल्क पट्टा आवंटन" से सम्बन्धित है। उक्त परिपत्र में यह प्रावधान किया गया है कि कमजोर वर्गों एवं बीपीएल परिवारों को पट्टा आवंटित करते समय नियम 157 एवं 158 के अन्तर्गत दी जाने वाली पात्रता के सन्दर्भ में नियम 145 से नियम 156 में वर्णित प्रक्रियात्मक प्रावधानों की पालना अनिवार्य नहीं मानी जायेगी, ताकि कमजोर वर्गों को शीघ्रतापूर्वक आवासीय भूमि उपलब्ध कराई जा सके किन्तु वर्तमान प्रकरण में जिस महिला के पक्ष में प्रश्नगत पट्टा जारी किया गया है उसकी जाति राजपुरोहित अंकित है। इसके अतिरिक्त यह प्रमाणित करने के लिए कि उक्त महिला बीपीएल श्रेणी की सदस्य है अथवा कमजोर वर्ग की पात्र श्रेणी में आती है, इस सम्बन्ध में अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा कोई भी दस्तावेज अथवा प्रमाण प्रस्तुत

अति. जिला कलेक्टर, पाली

नहीं किया गया है। इसी प्रकरण ग्राम पंचायत द्वारा जारी प्रश्नगत पट्टें में भी यह उल्लेख नहीं पाया जाता कि उक्त पट्टा मुख्यमंत्री ग्रामीण बीपीएल आवास योजना अथवा इंदिरा आवास योजना के अन्तर्गत निःशुल्क रूप से आवंटित किया गया हो। साथ ही पत्रावली पर उपलब्ध अन्य दस्तावेजों से भी यह स्पष्ट नहीं होता है कि पट्टाधारक उक्त परिपत्र में वर्णित पात्रता की श्रेणी में आती है। अतः अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत उक्त परिपत्र वर्तमान प्रकरण की परिस्थितियों पर लागू नहीं होता क्योंकि प्रश्नगत पट्टा बीपीएल श्रेणी के अन्तर्गत निःशुल्क आंवटित नहीं किया गया है बल्कि राजस्थान पंचायती राज नियम 157(1) के तहत निर्धारित राशि पर जारी किया गया है। ऐसी स्थिति में उक्त परिपत्र का सहारा लेकर नियम 145 से 156 में वर्णित प्रक्रियात्मक प्रावधानों से छूट का लाभ इस प्रकरण में नहीं दिया जा सकता।

जैर निगरानी याचिका में प्रश्नगत पट्टा राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(1) के तहत जारी किया गया है। हस्तगत प्रकरण में पट्टा जारी किये जाने के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत द्वारा जो प्रक्रिया अपनाई गई है, उसमें राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 140 से 157 में विहित प्रावधानों की पूर्ण पालना का अभाव पाया गया हैं। ग्राम पंचायत के समख अप्रार्थी द्वारा पट्टा जारी करवाने हेतु जो प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया, उस पर प्रार्थना–पत्र शुल्क, नक्शा फीस, मौका निरीक्षण शुल्क, 120/– रूपये जमा होना अंकित किया गया परन्तु उक्त राशि वास्तव में कब, किस माध्यम से एवं किस रसीद संख्या के अन्तर्गत जमा कराई गई, इसका कोई अभिलेख अथवा प्रमाण रिकॉर्ड पर उपलब्ध नहीं है। जैर निगरानी आज्ञा से सम्बन्धित मिसल की ओदशिका की पालना में प्रश्नगत भूमि का जो नक्शा बनाया गया, उस पर नक्शा तैयार करने वाले के हस्ताक्षर अंकित नहीं है। विधिक प्रक्रिया के अनुसार किसी भी नक्शे या तकनीकी अभिलेख पर उसे तैयार करने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर होना आवश्यक होता है, जिससे उस दस्तावेज की प्रमाणिकता एवं उत्तरदायित्व सुनिश्चित हो सके। नक्शा तैयार करने वाले के हस्ताक्षरों का अभाव उक्त दस्तावेज की प्रमाणिकता पर सन्देह उत्पन्न करता है। इसके अतिरिक्त उक्त नक्शे पर आवेदनकर्त्ता चन्दा कवंर के हस्ताक्षर अंकित होना दर्शाया गया है जबकि आवेदनकर्त्ता द्वारा प्रस्तुत ओवदन पत्र एवं शपथ पत्र पर उनके अंगुष्ठ निशान अंकित पाया गया। ऐसी स्थिति में नक्शे पर आवेदनकर्त्ता के हस्ताक्षर अंकित होना अभिलेखों के मध्य स्पष्ट विरोधाभास उत्पन्न करता है, साथ ही उक्त नक्शा कब बनाया गया इस सम्बन्ध में किसी दिनांक का अंकन नहीं है और पूर्व दिशा में अंकित पड़ौस में कांट–छांट दर्ज है। मिसल की आदेशिक दिनांक 05.09.2018 के द्वारा प्रश्नगत भूमि के मौका निरीक्षण हेतु ग्राम पंचायत द्वारा तीन पंचों को नामित किया गया था किन्तु ग्राम पंचायत की जिस दिनांक की बैठक कार्यवाही के आधार पर उक्त पंचों को नियुक्त किया जाना दर्शाया गया है, उस बैठक कार्यवाही में नामित किये गये तीन पंचों में से दो पंच कोरम के सदस्य के रूप में उपस्थित ही नहीं थे। ऐसी स्थिति में उनके द्वारा किया गया मौका निरीक्षण विधिसम्मत प्रक्रिया के अनुरूप नहीं माना जा सकता।. इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायत के बैठक कार्यवाही रजिस्टर दिनांक 05.09.2018 का अवलोकन करने पर यह तथ्य भी परिलक्षित होता है कि उसमें अंकित प्रस्ताव संख्या 13, जिसमें

अति. जिला कलेक्टर, पाली

"पुश्तैनी भूमि का मौका देखा जाये" अंकित किया गया है, प्रथम दृष्टया पश्चातवर्ती रूप से जोड़ा हुआ प्रतीत होता है। रजिस्टर में उक्त प्रस्ताव की लिखावट तथा अंकन शैली का अवलोकन करने पर यह स्पष्ट आभास होता है कि इसे बैठक की मूल कार्यवाही के साथ उसी समय अंकित न कर बाद में जोड़ा गया है।

हस्तगत प्रकरण में जैर निगरानी पट्टे से सम्बन्धित सम्पूर्ण मिसल कम्प्यूटर टाईप है, जिसमें आवश्यकतानुसार केवल नाम, तिथि एवं अन्य विवरण अंकित किये गये हैं। सामान्यतः ऐसी कार्यवाहियों में अभिलेखों का निर्माण वास्तविक परिस्थिति एवं मौके की कार्यवाही के आधार पर किया जाना अपेक्षित होता है, किन्तु प्रस्तुत प्रकरण में मिसल का स्वरूप इस प्रकार प्रतीत होता है कि उसे पूर्व–निर्मित प्रारूप में केवल आवश्यक विवरण भरकर तैयार किया गया है। इसके अतिरिक्त पत्रावली पर उपलब्ध गवाहों के बयान भी साईक्लोस्टाईल (छपे–छपाये) प्रिटेंड बयान प्रपत्र पर अंकित किये गय है, जिनमें पूर्व से ही निर्धारित विवरण अंकित है तथा उसमें केवल बयानकर्त्ता की जानकारी एवं प्रश्नगत भूमि के पड़ौस आदि का विवरण भर दिया गया है। इससे यह प्रतीत होता है कि गवाहों के बयान स्वतंत्र रूप से मौके पर दर्ज करने के बजाय पूर्व निर्धारित प्रारूप में औपचारिक रूप से अंकित किये गये है। सामान्य विधिक प्रक्रिया के अनुसार गवाहों के बयान स्वतंत्र एवं वास्तविक रूप से दर्ज़ किये जाना अपेक्षित होते है ताकि उनसे प्राप्त तथ्यात्मक स्थिति स्पष्ट हो सके। किन्तु जब गवाहों के बयान पूर्व से तैयार मुद्रित प्रपत्रों में केवल आवश्यक विवरण भरकर अंकित किये गये प्रतीत हों, तो ऐसी स्थिति में उन बयानों की स्वाभाविकता एवं विश्वसनीयता पर सन्देह उत्पन्न होना स्वाभाविक है। प्रकरण में आपत्ति इश्तिहारज के सहजदृश्य स्थान पर चस्पानगी के सम्बन्ध में केवल गवाहों के हस्ताक्षर है उनकी वल्दियती अंकित नहीं है। प्रकरण में राजस्थान पंचायतीराज में वर्णित प्रावधानों की पूर्ण पालना का अभाव पाया गया है। इस सम्बन्ध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त 2012 (2) RLW(RJ) 1091 Dhrampal Singh vs Additional District Collector के अनुसार Rajasthan Panchayat Raj Rules, 1996, Rule 157 read with Rule 146 - Allotment bade by Village Panchayat-Not following the requirements of Rule 157-Additional Collector cancelled the allotment-Held-The village Panchayat had failed to follow the procedure prescribed for allotment or take into consideration the preconditions for invoking Rule 157 of the 1996 Rules. Petition dismissed. इसके अतिरिक्त अन्य न्यायिक दृष्टान्त 2009 WLC 759 Babu singh vs State of Rajasthan & Others. में यह प्रतिपादित किया कि Rajasthan Panchayat Raj Act, 1994-S.97-The patta issuing order of the collector has been quashed as the order has been made in violation of the rules-The collector has exercised his power superficially in this mater which is not acceptable-Resolution for issuing the Patta has been set aside. प्रकरण में ग्राम पंचायत द्वारा अप्रार्थी का आवेदन प्रस्तुत होने से पूर्व ही ऐसे प्रस्ताव दिनांक के आधार पर मिसल दर्ज कर दी गई, जिसका बैठक कार्यवाही रजिस्टर में कोई अंकन नहीं है। इसके अतिरिक्त प्रश्नगत भूमि के पूर्व दिशा के पड़ौस के सम्बन्ध में अभिलेखों में कांट–छांट पाई जाती है तथा सम्पूर्ण प्रक्रिया में अन्य विरोधाभासी तथ्य भी परिलक्षित होते है। ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर पाली (राज.)

अति. जिला कलेक्टर, पाली

आवंटन के सामान्य नियमों की अनदेखी की गई हैं। इस प्रकार जैर निगरानी आज्ञा एवं उनकी पालना में जारी पट्टा विधि सम्मत नहीं है, इस कारण हस्तगत निगरानी याचिका में प्रश्नगत आज्ञा एवं उसकी पालना में जारी पट्टे को कायम रखा जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता हैं।

परिणामस्वरूप अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका आंशिक स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत वरकाणा द्वारा मिसल संख्या 04/2018–19, संकल्प संख्या निल दिनांक 20.12.2018 एवं उसकी पालना में चन्दाकंवर के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 11 दिनांक 28.12.2018 को अपास्त किया जाता है। निर्णय की सत्यप्रति के साथ ग्राम पंचायत का अभिलेख, ग्राम पंचायत वरकाणा को इस आशय से प्रतिप्रेषित की जाती है कि वे पक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 में विहित प्रक्रिया की पालना करते हुये विधिसम्मत निर्णय पारित करे।

निर्णय आज दिनांक 30/03/2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर सर–ए–इजलास सुनाया गया।

(डॉ. बजरंग सिंह)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
अति. जिला कलेक्टर, पाली